



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08012025-260008
CG-DL-W-08012025-260008

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 29, 2024—जनवरी—4, 2025, शनिवार/ पौष 8—पौष 14, 1946
No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 29, 2024—JANUARY—4, 2025, SATURDAY/PAUSHA 8—PAUSHA 14, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2024

सा. का. नि. 180.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (सांख्यिकी संवर्ग पदों) भर्ती नियम, 2019, जहां तक वे सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड II के पद से संबंधित हैं, को उन बातों के सिवाय, अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों, गृह मंत्रालय में सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालय, सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड II (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड II.	1200* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट है)।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र या जनसांख्यिकी या जनसंख्या अध्ययन या प्रचालन अनुसंधान या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर अनुप्रयोग या डेटा विज्ञान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्नातक डिग्री।	लागू नहीं होता

<p>टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p>	<p>टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2 - अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी भी प्रक्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	
---	---	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
<p>सीधी भर्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पणी:- परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।</p>	<p>(i) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा</p> <p>(ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300 रुपये) में वरिष्ठ संकलनकर्ता के ग्रेड में, जिसने छह वर्ष की नियमित सेवा और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा सांख्यिकीय उपकरण और जनसंख्या या जनसांख्यिकी विश्लेषण पर तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है।</p> <p>टिप्पण:- जहां कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, से अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों और अपने ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की है; तथा</p>

	<p>स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1- फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जिनकी प्रोन्नति आसन्न है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त कर्मचारी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत के महारजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. अपर महारजिस्ट्रार या उप महारजिस्ट्रार (जनगणना और सारणीकरण) -सदस्य; 3. अवर सचिव (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय -सदस्य। <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत के महारजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. अपर महारजिस्ट्रार या उप महारजिस्ट्रार (जनगणना और सारणीकरण) -सदस्य; 3. अवर सचिव (प्रशासन) या उप निदेशक (प्रशासन), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय -सदस्य। 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. ए -51011/1/2022-प्रशा-V]

एस एन शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 24th December, 2024

G.S.R. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India (Statistical Cadre posts) Recruitment Rules, 2019, in so far as they relate to the post of Statistical Investigator Grade II except, as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Investigator Grade II in the Office of the Registrar

General, India, Offices of the Directorate of Census Operations in States and Union territories, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India, Offices of the Directorate of Census Operations in States and Union territories, Statistical Investigator Grade II (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.** - No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Statistical Investigator Grade II.	1200* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Service, 'B', Gazetted, Ministerial.	Central Group Non-Non- (Rs.35400-112400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Bachelor degree in Statistics or Mathematics or Economics or Demography or Population Studies or Operation Research or Information Technology or Computer Science or Computer Engineering or Computer Technology or Computer Application or Data Science or Artificial Intelligence from a recognised university or recognised institute. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	No.

<p>Note.- The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p>	<p>Note 2 .- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	
--	--	--

<p>Period of probation, if any.</p>	<p>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.</p>	<p>In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.</p>
(9)	(10)	(11)
<p>Two years for direct recruits and promotees.</p> <p>Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in the relevant field organised by Office of the Registrar General India for direct recruits for successful completion of probation.</p>	<p>(i) Seventy-five per cent. by direct recruitment; and</p> <p>(ii) Twenty-five per cent. by promotion, failing which by deputation.</p>	<p>Promotion:</p> <p>Senior Compiler in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years regular service in the grade and having successfully qualified three weeks training on statistical tools and population or demography analysis conducted by training division of the Office of the Registrar General, India.</p> <p>Note.- Where juniors who have complete their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,-</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>

	Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Registrar General, India -Chairman;</p> <p>2. Additional Registrar General or Deputy Registrar General (Census and Tabulation) -Member;</p> <p>3. Under Secretary (Administration) or Deputy Director (Administration), Office of the Registrar General, India -Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>1. Registrar General, India -Chairman;</p> <p>2. Additional Registrar General or Deputy Registrar General (Census and Tabulation) -Member;</p> <p>3. Under Secretary (Administration) or Deputy Director (Administration), Office of the Registrar General, India -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. A-51011/1/2022-Ad V]

S. N. SHARMA, Director

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024

सा. का. नि. 181.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, (मात्स्यिकी प्रभाग, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को, जहां तक उनका संबंध सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग में सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।